झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 663/2024

1. अभिषेक कर्मकार उर्फ अभिषेक कर्मकार उर्फ पोचा, उम्र लगभग 23 वर्ष, बादल कर्मकार का पुत्र, निवासी काली मंदिर के पास, पत्रा.-टेल्को, थाना- बिरसानगर, जिला- पूर्वी सिंगभूम (जमशेदपुर)

2.सन्नी सिंह उर्फ सन्नी नेपाली, उम्र लगभग 22 वर्ष, शंकर सिंह का पुत्र, निवासी जी-4, टार कंपनी, बिरसानगर, पत्रा.-टेल्को, थाना - बिरसानगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, (जमशेदपुर) ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य झारखंड

2. प्रबजोत सिंह, पुत्र समशेर सिंह, निवासी रोड नंबर 1, जोन नंबर 11, पत्रा.-टेल्को, थाना-बिरसानगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) ..... विपक्षी

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री रोहित अग्रवाल, अधिवक्ता ।

झारखण्ड राज्य के लिए : श्री पी.के.चटर्जी, विशिष्ट लोक अभियोजक

विपक्षी 2 के लिए : जितेंद्र एन0 उपाध्याय, अधिवक्ता ।

उपस्थित

माननीय न्यायमुर्ति अनिल कुमार चौधरी कोर्ट द्वारा :- पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दायर की गई है, जिसमें संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ बिरसा नगर थाना मामला संख्या-2023 के 81 में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 325, 326, 307, 354, 379, 427, 452, 504, 506 के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं से उत्पन्न प्र.सू.रि. को विखंडित करने की प्रार्थना की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और पीड़ित के लिए विद्वान अधिवक्ता-विपक्षी पक्ष संख्या 2 संयुक्त रूप से न्यायालय का ध्यान अंतर्वर्ती आवेदन संख्या- 2680/2024 की ओर आकर्षित करते हुए, जो याचिकाकर्ताओं और कथित पीड़ित-विपक्षी पक्ष संख्या 2, के अलग-अलग शपथपत्र द्वारा समर्थित है, प्रस्तुत करते है कि उसमें यह उल्लेख किया गया है कि पक्षों ने अपने विवाद को न्यायालय के बाहर सुलझा लिया है, और पीड़ित-विपक्षी संख्या 2 मामला को आगे नहीं बढ़ाना चाहता. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना की उत्पत्ति मामूली विवाद है और समझौते के बाद, पक्षों के बीच अच्छे संबंध बहाल हो गए हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच विवाद एक निजी विवाद है और वर्तमान मामले में कोई लोक नीति शामिल नहीं है। आगे यह

प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं और याचिकाकर्ताओं और विपक्षी संख्या 2 के बीच पूर्ण और अंतिम समझौते के मद्देनजर मामले को आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता को दोषसिद्ध ठहराए जाने की संभावना दूरस्थ और क्षीण है, इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही साथ ही बिरसा नगर थाना मामला संख्या 81/2023 से उद्द्भुत प्रथम सूचना रिपोर्ट को विखंडित तथा अपास्त किया जाए।

4. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को अवलोकन करने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले जो (2014) 6 एस.सी.सी 466 में, कंडिका 29 में प्रतिवेदित है, सिद्धांतों को अभिनिर्धारित किया गया है जिनके द्वारा, उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच समझौते को पर्याप्त सुझाव देने और धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मार्गदर्शित होंगे तथा समझौते को स्वीकार करते हुए और कार्यवाही को अपास्त करते हुए, जो इस प्रकार है:

"29. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच समझौते को पर्याप्त समाधान देने और द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जब समझौते को स्वीकार करने और कार्यवाही को विखंडित करने या आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश के साथ समझौते को स्वीकार करने से प्रत्याख्यान करने हेतु मार्गदर्शित होंगे ।

29.1 संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति को उस शक्ति से अलग किया जाना चाहिए जो संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए न्यायालय में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं है, संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को विखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है जो समझौता योग्य नहीं हैं, जहां पक्षों ने आपस में मामला सुलझा लिया है, हालांकि, इस शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए और सावधानी से।

29.2. जब पक्षकारगण समझौते पर पहुंच गए हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही विखंडित करने की याचिका दायर की गई है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक यह सुनिश्चित करना होगा:

(i) न्याय के उद्देश्य, या

(ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर एक मत बनानी है,

29.3. ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हैं। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानून के तहत किए गए कथित अपराधों या उस क्षमता में काम

करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर विखंडित नहीं किया जा सकता है।

29.4 दूसरी ओर, अत्यधिक और मुख्य रूप से यथासंभव चरित्र वाले आपराधिक मामले, विशेष रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों को तब विखंडित कर दिया जाना चाहिए जब पक्षों ने अपने सभी विवादों को आपस में सुलझा लिया हो।

29.5 अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम और धूमिल है और आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्तों को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और आपराधिक मामलों को विखंडित न करने से उनके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

29.6 भा.द.वि. की धारा 307 के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आएंगे और इसलिए इन्हें आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाएगा, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ।हालाँकि, उच्च न्यायालय केवल इसलिए अपने फैसले पर रोक नहीं लगाएगा कि प्र.सू.रि. में धारा 307 भा.द.वि. का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप विरचित किया गया है, उच्च न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए खुला होगा कि धारा 307भा.द.वि. को शामिल किया गया है या नहीं। क्या इसके लिए है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो साबित होने पर भा.द.वि. की धारा 307 के तहत आरोप साबित हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय को लगी चोट की प्रकृति, चाहे वह चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक हिस्सों पर लगी हो, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार करने के लिए खुला होगा। पीड़ित को लगी चोटों के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट आम तौर पर मार्गदर्शक कारक हो सकता है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और क्षीण है। पहले मामले में यह समझौते को स्वीकार करने से प्रत्याख्यान कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को विखंडित कर सकता है, जबकि बाद के मामले में उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अभिवाक्स्वीकार करने हेतु अनुज्ञेय होगा, इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित किया जा सकता है कि पक्षों के बीच समझौते से उनके बीच सामंजस्य बनेगा जिससे उनके भविष्य के सम्बन्ध में सुधार हो सकता है।

29.7 यह विनिश्चय करते समय कि संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, व्यवस्थापन का समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे मामले जहां कथित अपराध के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामला अभी भी जांच के अधीन है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को विखंडित करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदार हो सकता है। यही कारण है कि इस स्तर पर अभी भी जांच जारी है और आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है. इसी तरह, ऐसे मामले जहां आरोप तय हो गए हैं लेकिन साक्ष्य अभी

शुरू नहीं हुआ है या साक्ष्य अभी भी प्रारंभिक चरण में है, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में उदारता दिखा सकता है, लेकिन ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों/सामग्रियों के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के बाद। दूसरी ओर, जहां अभियोजन साक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है या साक्ष्य के समापन के बाद मामला बहस के चरण में है, आम तौर पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय मामले को अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर तय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि भा.द.वि. की धारा 307 के तहत अपराध कारित हुआ है या नहीं । इसी प्रकार, उन मामलों में जहां दोषसिद्धि विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही की जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय चरण में है, केवल पक्षों के बीच समझौता इसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा। विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका है। यहां भा.द.वि. की धारा 307 के तहत आरोप साबित हो चुका है और एक जघन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध पहले ही अभिलिखित की जा चुकी है और इसलिए, ऐसे अपराध में दंदादिष्ट को बचाकर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है।" (जोर दिया गया)

5. अब मामले के तथ्यों पर, आते हैं यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पक्षों के बीच विवाद, व्यापक रूप से और मुख्य रूप से एक सभ्य चरित्र का है और पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के दंड की संभावना दूरस्थ और क्षीण है और मामले को जारी रखने से मामला प्रभावित होगा। इस आपराधिक मामले को विखंडित न करने से अभियुक्तों पर उत्पीड़न और पूर्वाग्रह और अत्यधिक अन्याय होगा और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के हित में, पूरी आपराधिक कार्यवाही को विखंडित कर दिया जाना चाहिए और अपास्त किया जाना चाहिए।

6. तदनुसार, संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ बिरसानगर थाना मामला संख्या 1/2023 से उद्द्भुत प्र.सू.रि. को विखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है और उपरोक्त दृष्टि में, उपरोक्त अंतरिम आवेदन का भी व्ययन किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 18 मार्च, 2024
स्मिता /ए.एफ.आर

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।